कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

क्रमांक/प.7(14) न्याय/स.आ./2021/1068 दिनांक :- 08/07/26

आदेश

जिला पुलिस अधीक्षक, करौली के पत्रांक 729 दिनांक 08.07.2026 तथा जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, करौली के पत्र राजकाज रेफ्रेन्स क्रमांक 23306550 दिनांक 08.07.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला करौली में पांचना बांध के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी की जा रही है, जिससे गुर्जर व मीना समाज के लोगों में आपसी सौहार्द एवं सामाजिक वैमनस्यता बिगड रही है। समाज कंटकों द्वारा पांचना बांध के मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है, जिसको सोशल मीडिया, व्हाटसअप ग्रुप व फेसबुक पर घटना को बढा चढाकर प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है। जिससे उक्त क्षेत्र में गम्भीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत करौली जिले में इन्टरनेट बंद किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

जिले में माकूल शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने व भ्रामक एवं अनर्गल सूचनाओं को फैलने से रोकने तथा लोक सुरक्षा (Public Safety) अथवा लोक आपात (Public Emergency) को दृष्टिगत रखते हुये इंटरनेट/ब्राडबैंड सेवाओं पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। उक्त क्रम में जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, करौली से प्राप्त पत्रानुसार करौली जिले की सम्पूर्ण परिधि में दिनांक 08.07.2026 से दिनांक 09.07.2026 की मध्यरात्रि 23.59.59 बजे तक 2G/3G/4G/5G (ब्राडबैंड व लीज लाइन इंटरनेट सेवाओं को छोड़कर) दूरसंचार सेवाओं (इंटरनेट सेवा) पर अस्थायी रूप से निलम्बन/प्रतिबंध लगाए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में फ़ेसबुक, व्हाट्सअप आदि के माध्यम से अफवाहें फैलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शान्ति भंग होने की आंशका के मध्यनजर करौली जिले की सम्पूर्ण परिधि में **Information technology (Procedure & Safeguards for blocking of access of information by public) Rules 2009, read with clause (Z) of Sub section (2) of section 87 & 69 A (2) of I.T. Act 2000** के तहत इन्टरनेट सेवा को प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः **मैं नलिनी कठोतिया, संभागीय आयुक्त, भरतपुर Temporary suspension of Telecom Services (Public emergency or public Safety) Rules 2017 दिनांक 07 अगस्त 2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प.36 (4)गृह-9/2017/पार्ट-2 दिनांक 23.11.2021** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **करौली जिले की सम्पूर्ण परिधि में 2G/3G/4G/5G Data Internet Services (ब्राडबैंड व लीज लाइन इंटरनेट सेवाओं को छोड़कर) दूरसंचार सेवाओं (इंटरनेट सेवा) को दिनांक 08.07.2026 की मध्यरात्रि 23.59.59 बजे से दिनांक 09.07.2026 की मध्यरात्रि 23.59.59 बजे तक के लिए अस्थाई रूप से निलम्बित/प्रतिबन्ध किये जाने के आदेश देती हूं।**

करौली जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज 08.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।

(नलिनी कठोतिया)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

क्रमांक :- सम/1069-1077 दिनांक :- 08/07/26

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग राज0 सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राज0 जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस रेंज, भरतपुर।
5. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, करौली को भेज कर लेख है कि संबंधित क्षेत्रों में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों/ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम ऑपरेटर, बी.एस.एन.एल/एयरटेल/वोडाफोन-आइडिया/रिलायंस/जीओ आदि को पालनार्थ मार्फत पुलिस अधीक्षक, करौली।
8. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, करौली।
9. आदेश पत्रावली।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर